



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267670  
CG-DL-E-14112025-267670

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5003]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947

No. 5003]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5172(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि यूरेनियम उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का (14) की पहली अनुसूची की मद 19 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगिता सेवा बनाया जाए;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2241(अ), तारीख 20 मई, 2025 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, तारीख 20 जून, 2025 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में लोक उपयोगिता सेवा प्रस्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूरेनियम उद्योग में लगी हुई सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, तारीख 19 दिसंबर, 2025 से और छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा होने की घोषणा करती है।

[फा. सं एस-11017/04 /2025 -आईआर(पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2025

**S.O. 5172(E).**— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the service in the Uranium Industry, which is covered under item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (hereinafter referred to as the said Act), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 20<sup>th</sup> June, 2025, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, Number S.O. 2241(E), dated 20<sup>th</sup> May, 2025;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Uranium Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19<sup>th</sup> December, 2025.

[F. No. S-11017/04/2025-IR(PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.